


82 न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल

खण्डपीठ रीवा जिला रीवा म0प्र0

III / लिंग 0 / सतना / ४२-२८/२०१७/२४९३

निगरानी प्र०क०

/ 17



राजेन्द्र प्रसाद पिता श्री बालकरण द्विवेदी उम्र 60 वर्ष पेशा नौकरी निवासी कांसा
तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0 निगराकार

बनाम

रामदरस पिता धर्मदास द्विवेदी उम्र 60 वर्ष पेशा नौकरी निवासी कांसातहसील
मैहर जिला सतना म0प्र0 रुल निवास अप्र. विद्युत पाल गैर निगराकार

विद्युत पुर निला शहडील मुंग

निगरानी विरुद्ध पारित आदेश अधीनस्थ प्रभारी
राजस्व निरीक्षक वृत्त तिलौरा तहसील मैहर के
राजस्व प्र०क० ३७ए / 12/2016-17 दिनांक 09.
06.2017 के विरुद्ध

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू०रा०सं० 1959

अधिकारी भरपाद दिल्ली का
कार्यालय | 01-६-१७
मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर दियी है:-

यह निगरानी प्रकरण माननीय अधीनस्थ न्यायालय प्रभारी राजस्व निरीक्षक
वृत्त तिलौरा तहसील मैहर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2017 के विरुद्ध
माननीय न्यायालय में निगराकार द्वारा दायर की जा रही है प्रकरण के संक्षिप्त
सार यह है कि गैर निगराकार द्वारा म0प्र0भू०रा०सं० की धारा 129 के तहत
सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक महोदय को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था
लेकिन प्रभारी राजस्व निरीक्षक वृत्त तिलौरा तहसील मैहर द्वारा सीमांकन की
विधिक प्रक्रिया के बिना दिनांक 09.06.2017 को सीमांकन की पुष्टि कर दी गई
इस संबंध में न तो सरहददी कास्तकारों को कोई सूचना भी नहीं दी गई मात्र
अपने परिवार के लोगों के फर्जी ढंग से दस्तखत करके सीमांकन को अंतिम रूप

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक

III/ग्रा. 17/2493-

जिला-सूतना

पक्षकार का नाम राजेन्द्र पुरुष डिवटी / रामदरश डिवटी

(1)	(2)	(3)
27.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2—आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3—आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p>	 सदस्य